राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प. 17(1) राज-6/2002 / 16 जयपुर दिनांक 13.8.2004

समस्त जिला कलेक्टर

राजस्थान ।

परिपत्र

विषय:- शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प, होटल, चिकित्सा या अन्य प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन/ संपरिवर्तन बाबत ।

इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 6(54)राज-6/2001/27 दिनांक 6-10-2003 के पश्चात शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प, होटल, चिकित्सा या अन्य प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन/ संपरिवर्तन की कार्यवाही कौन करेगा । इस बारे में जिला कलेक्टरों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है । इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि विभाग की अधिसूचना दिनांक 6-10-03 के पश्चात शहरी क्षेत्रों में पैट्रोल पम्प, होटल, चिकित्सा या अन्य प्रयोजन हेतु भूमि के संपरिवर्तन/ आवंटन की कार्यवाही स्थानीय निकायों द्वारा की जाएगी । राजकीय सिवाय चक भूमि जो कि अभी तक नगरपालिकाओं को हस्तान्तरित नही की गई है, उस का संपरिवर्तन/ आवंटन करने से पूर्व स्थानीय निकाय उक्त सरकारी/ सिवाय चक भूमि जो अभी तक राजस्व विभाग के नाम ही दर्ज है, उसे स्थानीय निकाय नियमानुसार राजस्व विभाग से अपने नाम हस्तान्तरित कराने के बाद ही उसके संपरिवर्तन/आवंटन/ नियमन की कार्यवाही स्थानीय निकाय कर सकेगें । यह परिपत्र इस विभाग द्वारा इस संबंध में जारी पूर्व परिपत्रों का अतिक्रमण करते हुए जारी किया जा रहा है ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
2. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
3. उप शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग ।
4. सहायक विधि प्रारूपकार, राजस्व ग्रुप-6 विभाग

उप शासन सचिव